राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक.प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 जयपुर, दिनांक 2.6.2020

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष, सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित।

परिपत्र

विषयः–राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी के स्थाईकरण, परिवीक्षाकाल, वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में।

किसी राजकीय कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उसके आश्रित को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत उसकी योग्यता एवं पात्रता के अनुसार किसी पद पर संबंधित सेवा नियमों में विहित प्रावधानानुसार नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है।

उक्त नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी के स्थाईकरण, परिवीक्षाकाल एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में स्पष्ट प्रावधान है किन्तु इनकी नियमित नियुक्ति कब से मानी जावे इसका प्रावधान न तो उक्त नियम में है और न ही संबंधित सेवा नियमो में है, जिनके अन्तर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में भी इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अतः कतिपय विभागाध्यक्षो एवं नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति, स्थाईकरण, वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में अलग अलग मापदण्ड निर्धारित किये जा रहे है जिससे ऐसे प्रकरणो में विसंगतिया उत्पन्न होने के कारण न्यायिक विवाद की संभावना बनी रहती है। उपर्युक्त विषय में विभिन्न विभागों द्वारा प्रकरण कार्मिक विभाग में राय/मार्गदर्शन हेतु भी प्रेषित किये जा रहे है।

अतः कार्मिक विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणो का नियमों के अन्तर्गत परीक्षण कर मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति, स्थाईकरण, वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में स्पष्टीकरण एवं नियम निवर्चना निम्नानुसार की जाती है–

क्रमांक	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	मृतक आश्रित कर्मचारी की नियुक्ति नियमित कब से होगी ।	अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत नियुक्त कर्मचारी की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेंगी।

2	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने के संबंध में।	नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को परिवीक्षा की कालावधि के भीतर सुसंगत नियमों में यथाविहित कम्प्यूटर अर्हताओं में से कोई अर्हता प्राप्त करनी होगी ।
3	मृतक आश्रित कर्मचारी की वरिष्ठता के संबंध में ।	मृतक आश्रित कर्मचारी की वरिष्ठता, कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेगी।
4	मृतक आश्रित कर्मचारी के परिवीक्षाकाल के संबंध में ।	मृतक आश्रित कर्मचारी का परिवीक्षाकाल भी सीधी भर्ती में नियुक्त कर्मचारी की भांति दो वर्ष का होगा किन्तु यदि वह दो वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो उसका परिवीक्षाकाल अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 के प्रावधानानुसार उतनी ही अवधि का बढाया हुआ समझा जावेगा जितनी अवधि में वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करता है।
5	मृतक आश्रित कर्मचारी के स्थायीकरण के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने के पश्चात् परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर उसका स्थायीकरण किया जावेगा।
6	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा /टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के संबंध में।	जब तक वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नही कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियमानुसार काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धि देय होगी तथा कोई नकद संदाय नहीं किया जायेगा।
7	मृतक आश्रित कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा यदि नियमानुसार कम्प्यूटर योग्यता /टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है, तो उसकी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर नियमानुसार देय है। किन्तु यदि उसने नियमों में विहित कम्प्यूटर योग्यता/टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जब तक मृतक आश्रित कर्मचारी के द्वारा कम्प्यूटर योग्यता व टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही कर ली जाती है, तब तक उसे पदोन्नति देय नहीं होगी और जैसे ही वह कम्प्यूटर

		योग्यता/टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, उसके बाद आने वाली अप्रैल के प्रथम दिन की स्थिति में उसे नियमानुसार पदोन्नति देय होगी। उदाहरणार्थ–किसी कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 5.8.2010 है और उसके द्वारा अनुकम्पा नियम 1996 के नियम 9 के अनुसार कम्प्यूटर योग्यता/ प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा दिनांक 5.8.14 को अर्जित की गई है तो उसे पदोन्नति 5.8.2014 के पश्चात आने वाली अप्रैल की स्थिति में देय होगी।
8	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने की स्थिति में पद सुरक्षित रखे जाने के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने और उससे कनिष्ठ के पदोन्नत होने की स्थिति में ऐसे कर्मचारियों के लिए पद सुरक्षित नहीं रखा जायेगा एवं बिन्दु संख्या 07 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में उक्त नियमों एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड , जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

31/2020

आवेदन-पत्र का प्रारूप

भाग - 1

1 मृतक राज्य कर्मचारी का नाम व पद

2 निधन की दिनांक एवं स्थान
(मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

3 विभाग का नाम जिसमें वह मृत्यु के समय
कार्यरत था

4 मृत्यु के समय धारित पद तथा उसका वेतनमान

5 नियुक्ति का प्रकार : (स्थाई/ अस्थाई)

6 राजकीय सेवा मे प्रथम नियुक्ति का दिनांक

7 मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यो का
विवरण:-
(केवल परिवार के सदस्यो के ही नाम लिखे जाये)

क्र.स.	नाम	मृतक से संबंध	जन्म दिनांक एवं आयु	शैक्षणिक योग्यता	विवाहित/ अविवाहित	मासिक आय* रूपये
1						
2						
3						
4						
5						

* नियम 10(3) मे यथा विर्णित शपथ-पत्र संलग्न करे

भाग - 2

राजकीय सेवा मे नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आश्रित का विवरण-

आवेदक की फोटो

1 नाम

2 आयु एवं जन्मतिथि

3 शैक्षणिक योग्यता
(प्रमाण-पत्र संलग्न करे)

4 मृतक राज्य कर्मचारी से सम्बन्ध

5 आवेदित पद का नाम व वेतनमान

स्थाई पता :-

आवेदक के हस्ताक्शर

भाग - 3

<u>यदि आवेदक विधवा स्वयं नही हे तो विधवा/अन्य आश्रितों की सहमति</u>

मैने आवेदन के भाग (1) व (2) मे उल्लिखित सूचना पढ ली है । भली प्रकार सुन ली है । आवेदक को नोकरी दिये जाने हेतु मेरी/अन्य आश्रितों की सहमति है। जिसके समर्थन में मेरा/अन्य आश्रितों का घोषणा पत्र संलग्न है ।

विधवा के हस्ताक्षर

साक्ष्य: 1.

2.

भाग - 4

<u>विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि :-

(1) आवेदन पत्र विभाग में दिनांक .... को प्राप्त हुआ है जो कि डायरी संख्या .... दिनांक .... पर दर्ज है ।

(2) आवेदन पत्र मे अंकित सूचनायें मृतक कर्मचारी के सेवा अभिलेख के अनुसार सही है । नियमों के अनुसार आवेदक आवेदित पद .... पद नियुक्ति का पात्र है ।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

भाग - 5

<u>विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र यदि आवेदन पत्र अन्य विभाग को भेजा जाना है</u>

प्रमाणित किया जाता है कि :-

(1) आवेदक आवेदित पद पर नियुक्ति का पात्र है किन्तु यह पद .... विभाग मे नही है । अत: आवेदन पत्र .... को अग्रेषित किया जा रहा है ।

(2) मृतक कर्मचारी के नियम के पश्चात आज तक उसके स्थान पर किसी भी आश्रित को किसी भी पद पर नियुक्ति नही दी गई है ।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

आवेदक का प्रमाण-पत्र

मै प्रमाणित करता हूॅ कि आवेदन पत्र के भाग (1) व (2) मे वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है । यदि भविष्य मे कोई भी तथ्य असत्य पाया जावे तो मेरी सेवाऐं समाप्त की जा सकेगीं ।

आवेदक के हस्ताक्षर

साक्ष्य: 1.

2.

...

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

राजस्थान मृत राज्य कर्मचारियो के आश्रितो को अनुकम्पा नियुक्ति नियम– 1996 के अर्न्तगत मृत राज्य कर्मचारियो के आश्रितो को अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणो को अधिनस्थ अधिकारियो द्वारा नियमो के परिपेक्ष्य में परीक्षण किये बिना निदेशालय को अग्रेषित कर दिए जाते है तथा निदेशालय द्वारा बार–बार आक्षेपो की पूर्ति हेतु आपको निर्देशित किया जाता रहता है, इस कारण प्रकरण निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणो के सम्बन्ध में निम्न निर्देशो की पालना हेतु आपको निर्देशित किया जाता है।

01.कार्मिक की मृत्यु के 90 दिवस में आवेदन करने के लिए मृतक आश्रित परिवार को अवगति प्रदान कर आवेदन करने का निवेदन करे तथा नियमो में निर्धारित आवेदन पत्र की प्रति तथा दिशा निर्देश साथ में संलग्न करे, साथ ही यह अवगत करावे कि 90 दिवस पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

02.आवेदक द्वारा 90 दिवस पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावे। इस सम्बन्ध में अपने अधिनस्थ संस्था प्रधानो को भी अवगत करावे।

03.कार्यालयाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह प्रकरण का परीक्षण कर सम्पूर्ण औपचारिकताए पूर्ण करवावे।

04.ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने पर वरिष्ठतम लेखाधिकारी से प्रकरण का परीक्षण उपरान्त अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित 15 दिवस की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषित करे।

05.जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने पर वरिष्ठतम लेखाधिकारी से प्रकरण का परीक्षण उपरान्त अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित अधिकतम 30 दिवस की अवधि में उप निदेशक (प्राशि) को अग्रेषित करे।

06.उप निदेशक कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण वरिष्ठतम लेखाधिकारी से परीक्षण उपरान्त अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित अधिकतम 15 दिवस में निदेशालय को अग्रेषित करे।

07.निदेशालय में आवेदन पत्र भिजवाने से पूर्ण भलीभांति परीक्षण कर लिया जावे कि प्रकरण पूर्ण है इस हेतु निदेशालय द्वारा निर्धारित परीक्षण सूची संलग्न प्रेषित है।

08.कर्मचारी की मृत्यु पश्चात सेवा समाप्ति आदेश तुरन्त जारी करे तथा उसकी प्रति रजिस्टर्ड डाक से निदेशालय को भिजवावे।

09.अवयस्क आवेदक का आवेदन पत्र लम्बित रखने का प्रावधान नही है अतः प्रकरण का निस्तारण कर मृतक आश्रित परिवार के वयस्क सदस्य को मृत्यु के 90 दिवस में ही आवेदन करने की राय प्रदान करे।

10.निर्धारित आयु–सीमा से अधिक आयु के प्रकरणो में नियुक्ति देय नही है। अतः इस प्रकार के प्रकरण निदेशालय को नही भिजवावे जावे।

संलग्नः– निर्धारित परीक्षण सूची

(राजेन्द्र डूडी)
वित्तीय सलाहाकर
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/साप्र/बी/2611/मूल/16 दिनांकः– 20/2/18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01.समस्त उप निदेशक (प्राशि)

02.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिनस्थ समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारीयो तथा संस्था प्रधानो को उक्त निर्देशो से अवगत करावे।

03.निजी सचिव, निदेशक महोदय,

04.निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार

05.रक्षित पत्रावली

(राजेन्द्र डूडी)
वित्तीय सलाहाकर
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

जाँच सूची

1. आवेदन पत्र नियमो में निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर भिजवावे।
2. आवेदक को नियुक्ति देने में सहमति का आश्रित परिवार के समस्त व्यस्क सदस्यों का शपथ–पत्र।
3. पेंशन राशि सहित परिवार की कुल आय का अलग अलग मदवार आवेदक का शपथ–पत्र।
4. नियुक्ति उपरान्त कोई अन्य आश्रित नियुक्ति का हकदार नही होने का आवेदक का शपथ–पत्र।
5. मृतक आश्रित परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों के नियम–5 के अनुसार निम्न शपथ–पत्र निर्धारित भाषा में ही देवें:–

   स्व0 श्री,,,,,,,,,,,,,,,के आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय / राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, सगठन / निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र / राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय तथा वर्तमान में भी नियमित आधार पर नियोजित नही है, एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है।
6. आक्षेप संख्या–5 में अंकित भाषा में जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र।
7. नियुक्ति उपरान्त आश्रित परिवार के भरण–पोषण करने के संबध में आवेदक का शपथ–पत्र, स्पष्ट अंकित करावें कि भरण–पोषण नही करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त कर दी जावे।
8. आवेदक पुत्री होने पर अविवाहित होने का शपथ–पत्र प्रस्तत करें।
9. आवेदक यदि पत्नी है तो पुनः विवाह नही करने का का शपथ–पत्र।
10. मृतक कर्मचारी की सेवायें नियमित एवं निन्तर होने का कमांक / दिनांक सहित जि.शि.अ. कर प्रमाण–पत्र।
11. प्रार्थी की जन्मतिथि / शैक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्रों की पठनीय प्रमाणित प्रति।
12. मृत्यु प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
13. शिथिलन की स्थिति में मृतक परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति होने का आवेदक का शपथ पत्र।
14. प्रकरण में शिथिलन की स्थिति में मृतक परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने की स्थिति में प्रदत्त प्रमाण पत्र।
15. मृतक राज्य कर्मचारी के सेवा समाप्ति आदेश की पठनीय प्रमाणित प्रति।
16. मृतक राज्य कर्मचारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का होने की स्थिति में जि.शि.अ.स्पष्ट प्रमाण–पत्र देवे–

    यह प्रमाणित किया जाता है कि मृतक कर्मचारी स्व श्री,,,,,,,,,,,,,राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विधालय,,,,,,,,,,,,,जिला,,,,,,,,,,,,,,,में कार्यरत थे ये प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के कार्मिक होते हुए राज्य कर्मचारी थे। ये पंचायती राज के कर्मचारी नही थे।
17. आवेदक द्वारा आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने पर औचित्य सहित शपथ–पत्र।
18. विभाग द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से भिजवाया जा रहा है तो औचित्य सहित कारण स्पष्ट करते हुए दोषी के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित करावे।
19. परिशिष्ट–1 पूर्ण भरकर परीक्षण उपरान्त जिशिअ तथा उप निदेशक की स्पष्ट अभिशंषा सहित भेजे।
20. आवेदक के विवाहित होने पर बच्चों का जन्मतिथि सहित विवरण का शपथ–पत्र।
21. मृतक कार्मिक के शिक्षा विभाग में चयनित / नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

राजस्थान मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है । अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का उद्देश्य मृतक आश्रित परिवार को तुरन्त राहत पहुंचाना है किन्तु ध्यान में आया है कि अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा नियमों की भावना के विपरीत प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मृतक आश्रित परिवार को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पडता है । अतः मृतक आश्रित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं :–

1. कार्मिक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर संस्था प्रधान कार्मिक परिवार को नियमों में निर्धारित आवेदन पत्र (प्रतिसंलग्न) आश्रित परिवार को भिजवाकर मृत्यु के **90दिवस** के भीतर पात्र आशार्थी का आवेदन करने की राय प्रदान करेगें ।
2. मृतक आश्रित परिवार द्वारा विद्यालय/कार्यालय में आवेदन करने पर निर्धारित विभागीय जांच सूची (प्रतिसंलग्न) के अनुसार प्रकरण का समुचित परिक्षण कर प्रकरण **15दिवस** की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें । जिसकी सूचना आवेदक को भी दी जावेगी ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रकरण का नियमों के परिपेक्ष्य में विभागीय जांच सूची अनुसार अपनी स्पष्ट अभिशंषा परिशिष्ट '1' में कर प्रकरण **15दिवस** के अन्दर अपने मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत करेगें । प्रायः ध्यान में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अपात्र आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकार कर नियमों के विपरीत आवेदन पत्र को अग्रेषित कर देते हैं जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है अतः जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि अपात्र आवेदन का आवेदन पत्र में नियुक्ति की अभिशंषा न की जावे । तथा प्रकरण का अपने स्तर पर निस्तारण करें ।
4. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने की अवधि से **एक सप्ताह** के भीतर आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट अभिशंषा के साथ निदेशालय को भिजवावें ।
5. निदेशालय द्वारा प्रकरण की जांच में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो उस कमी की पूर्ति हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करने के साथ साथ आवेदक को भी सूचित किया जाता है । तदुपरान्त भी ध्यान में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आक्षेपों की विधिवत पूर्ति किये बिना प्रकरण निदेशालय को भिजवा देते हैं । जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है ।
6. शिथिलन योग्य प्रकरणों में जिला शिक्षा अधिकारी मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति का परिक्षण किये बिना तथा प्रकरण के गुणदोष पर विचार किये बिना निदेशालय को प्रकरण भिजवा दिये जाते हैं जो राज्य सरकार स्तर पर आक्षेपित होकर प्राप्त होते हैं । इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति का परिक्षण कर अपनी स्पष्ट जांच रिपोर्ट तथा अभिशंषा के साथ स्वयं प्रमाण पत्र जारी करें ।

7. प्रायः ध्यान में आरहा है कि अनेक जिला शिक्षा अधिकारी उनके स्तर पर वांछित प्रमाण पत्र स्वयं के हस्ताक्षरों से जारी नहीं कर केवल प्रतिहस्ताक्षर करते हैं जो प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब का कारण बनता है । अतः जो प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से जारी होने है उन्हें वे स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करें ।
8. निदेशालय द्वारा नियुक्ति अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् भी नियुक्ति अधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करने में अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आवेदक से वांछित दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करें तथा तत्काल नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करें ।
9. दिनांक 30.04.2016 तक विभाग में प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 31.05.2016 तक वाहक के साथ निदेशालय को भिजवा देंवे । इस संबंध में मंडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर भिजवावें कि 30.04.2016 तक प्राप्त समस्त प्रकरण भिजवा दिये गये हैं कोई भी प्रकरण अधिनस्थ कार्यालय में लंबित नहीं है । इसके पश्चात् पूर्व अवधि का प्रकरण प्राप्त होता है तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

समस्त उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करावें ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

क्रमांकः–शिविरा/मा/साप्र/ए–4/3901/मूल/विविध/2016 दिनांकः– 13.05.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय
3. अनुभाग अधिकारी सिस्टम एनेलेसिस को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर–:

कार्यालय आदेश :–

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश कमांक ए–5(51)कार्मिक/क–2/88–I दिनांक 29–4–99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार लिपिक ग्रेड II 72 एवं 29 सहायक कर्मचारी कुल 101 अभ्यर्थीयों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित मण्डल में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जाता है ।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :–

1– राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जॉच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे।

राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेगें।

2– मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बार्ड या उपकम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा ।)

3– मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।

4– कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण / भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02..01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।

5– दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।

6– राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

7– संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ ए–11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।

17/5/16

8– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।

9– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा,सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।

10– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।

11– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 12 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।

12– प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं होगी ।

13– लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए–II/ 2006 दिनांक 05.07.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अहर्ता नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी।

14– लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 05.07.10 के अनुसार कम्प्युटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उर्त्तीण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

15– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा **नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगें ।**

16– **राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(51)डीओपी/ए–II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम–5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।**

17– **यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी । रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।**

18– **माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।**

चूकि विभाग में लिपिक ग्रेड II/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय,राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशकमाध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति मूल/2016/ दिनांक : 13.05.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

(1) उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय,राज0जयपुर ।
(2) संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राज0 जयपुर ।
(3) संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
(4) निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर ।
(5) उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ... को संलग्न सूची (लिपिक ग्रेड II तथा सहायक कर्मचारी के कुल) में उल्लेखित अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता हैं कि रिक्त पदो के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें ।
(6) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रथम).................................... ।
(7) स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग ।
(8) अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
(9) रक्षित पत्रावली ।

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशकमाध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद – लिपिक ग्रेड II

मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक – शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति/2016 दिनांक 13.05.2016 के तहत 72 लिपिक ग्रेड II पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है का विवरण (स्थिर पारिश्रमिक 8910 रुपये)

क.सं.	आवेदक का नाम,संबंध शैक्षणिक योग्यता व जन्म तिथि	आवेदन की दि. तथा आवेदित पद	मृतक कर्मचारी का नाम मय पदनाम	मृत्यु तिथि	आवंटित मंडल
1	2	3	4	5	6
1	श्री शील स्वामी पुत्र बी.ए. 04.05.1995,	29.03.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री शशि स्वामी लिपिक ग्रेड II	23.02.16	बीकानेर
2	श्री अरूण कुमार तिवाडी, पुत्र, बीकॉम, 21.12.90	28.01.16 लिपिक ग्रेड II	श्री श्यामलाल तिवाडी, अ0, प्राशि	10.01.16	बीकानेर
3	श्री शिवकरण, पुत्र, बीए, 01.07.83	26.10.15 लिपिक गेड II	श्री मालाराम गोदारा, व0अ0, प्राशि	15.08.15	बीकानेर
4	श्री नितेश भारद्वाज, पुत्र, बीए, 16.11.96	01.01.16 लिपिक गेड II	श्री बालचन्द शर्मा, अ0, प्राशि	26.11.15	बीकानेर
5	श्रीमती किरण देवी, पत्नी, सीसै, 05.08.86	30.11.15 लिपिक ग्रेड II	श्री भाल सिह, अ0, प्राशि	14.10.15	बीकानेर
6	श्री सुरजपाल सिंह, पुत्र, एम.ए., 20.02.1990	10.07.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री कैलाशचन्द्र सक	12.06.15	चूरु
7	श्री अशोक कुमार, पुत्र, सीसै, 15.06.89	20.05.13 लिपिक ग्रेड II	श्री रामप्रताप, अ0, प्राशि	13.04.13	चूरु
8	श्री विजय सिंह, पुत्र, सीसै, 08.09.95	05.05.15 लिपिक गेड II	श्री मान सिंह, अ0, प्राशि	13.02.15	चूरु
9	श्रीमती सुनिता शर्मा, पत्नी, सीसै, 02.10.68	29.10.12 लिपिक ग्रेड II	श्री राधामोहन शर्मा, अ0, प्राशि	02.08.12	चूरु
10	श्री मोहित मोर्य, पुत्र, बी. एस.सी. , 08.09.1993	09.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रमेश कुमार कलि	04.11.15	चूरु
11	श्री राजपाल, पुत्र, बी.ए. 01.01.1994	21.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रामेश्वर लाल व.अ.	17.11.15	चूरु
12	श्री विजेन्द्रसिंह, पुत्र, सीसे, 27.04.1983	04.02.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री गिरधारी लाल का. स.	14.01.16	चूरु
13	श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र, बीए. 11.09.1985	23.10.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री सावन्त सिंह वलि	24.08.15	चूरु
14	रामावतार शर्मा, पुत्र, बीए 23.07.88	22.12.15 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती लक्ष्मीदेवी,स.क.	30.11.15	चूरु
15	श्री पुरुषोतम बलाई, पुत्र, सीसै, 05.10.1994	21.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती भगवती देवी सक	09.10.15	जयपुर
16	श्री मुकेश सैन, पुत्र, बी.ए. 10.10.1993	19.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री लक्ष्मीनारायण सैन सक	28.11.15	जयपुर
17	कुलदीप चौधरी, पुत्र बी.ए. 15.08.1994	12.01.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री रंगलाल जाट, अध्यापक	19.12.15	जयपुर

12/5/16

18	श्री मोहित कुमार पुत्र एम कॉम 08.09.1991	31.10.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रामबाबु शर्मा वलि	27.09.15	जयपुर
19	श्रीमती मीरा देवी पत्नि, बी.ए. 20.06.85	07.09.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रतनलाल कानिस्टेबल ड्राईवर	10.07.15	जयपुर
20	श्रीमती अनीता मीणा, पत्नि, बी.ए. 07.06.1984	17.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री चतरलाल मीणा अध्यापक	04.11.15	जयपुर
21	श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र, सीसै, 05.07.1993	30.06.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री नन्नुमल शर्मा, स.क.	27.05.15	जयपुर
22	श्री राहुल कुमार, पुत्र, बीएससी II, 27.12.96	20.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती सन्तरा खीचड़, अ0, प्राशि	12.10.15	जयपुर
23	श्री विरेन्द्र कुमार, पुत्र, एमए, 24.06.79	15.10.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री राजेन्द्र कुमार, प्र0अ0, प्राशि	09.09.15	जयपुर
24	श्री राहुल गांधी, पुत्र, सीसै, 06.08.90	28.11.14 लिपिक ग्रेड II	श्री भीमसेन गांधी, अ0, प्राशि	25.10.14	जयपुर
25	श्री नितेश कुमार मुदगल, पुत्र, बीकॉम, 10.04.92	03.07.14 लिपिक ग्रेड II	श्री प्रवीण कुमार शर्मा, प्र0अ0, प्राशि	02.06.14	जयपुर
26	श्री कपिल सोलंकी पुत्र, सीसै. 19.05.1996	31.08.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री शैतानसिंह व्याख्याता	08.08.15	जोधपुर
27	श्री प्रेमप्रकाश पुत्र, सीसै. 27.03.1997	29.11.2014 लिपिक ग्रेड II	श्री होतीराम मेघवाल अध्यापक	01.11.14	जोधपुर
28	श्री सुखदेव, पुत्र, सीसै, 05.03.90	03.08.15 लिपिक ग्रेड II	श्री रेवतराम, अ0 प्राशि	01.07.15	जोधपुर
29	श्री अशोक कुमार, पुत्र, बीए, 22.08.81	16.06.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मूलाराम अ0, प्राशि	18.05.15	जोधपुर
30	श्री सुभाष कुमार, पुत्र, एमए, 05.07.85	23.07.15 लिपिक ग्रेड II	श्री भागूराम, शाशि0 प्राशि	30.06.15	जोधपुर
31	श्री सुरेश कुमार, पुत्र, सीसै, 27.11.88	27.03.15 लिपिक ग्रेड II	श्री बाबूलाल, प्र0अ0, प्राशि	30.01.15	पाली
32	श्री अभिषेक सेन, पुत्र, सीसै, 19.07.96	12.03.15 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती चन्द्रकान्ता सेन, अ0, प्राशि	13.02.15	पाली
33	सीमा बिश्नोई, पुत्री, सीसै, 26.09.95	05.06.13 लिपिक ग्रेड II	श्री पूनमाराम बिश्नोई, अ0, प्राशि	28.04.13	पाली
34	श्री रवि सैन, पुत्र, सीसै, 10.06.1993	04.08.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री पारस मल नाई व्याख्याता	20.06.15	पाली
35	श्री राकेश, पुत्र, बीए, 29.07.91	19.08.13 लिपिक ग्रेड II	श्री शोभाराम, अ0, प्राशि	09.07.13	पाली
36	श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र, सीसै, 16.08.1981	03.02.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री हुकमसिंह अध्यापक	01.01.16	पाली
37	सुश्री इन्दिरा कुमारी पुत्री, सीसै, 13.03.1997	22.01.2016, लिपिक ग्रेड II	श्री भूराराम वरिष्ठ अध्यापक	12.12.15	पाली
38	श्रीमती ललिता गोस्वामी, पत्नि, सीसै, 02.03.1979	24.02.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री विक्रम पुरी व0अ	16.12.14	पाली
39	श्री अनुपम मिश्रा, पुत्र, एमए, 11.05.83	03.04.14 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती उमारानी शर्मा, अ0, प्राशि	06.03.14	अजमेर
40	श्री पवन कुमार गुर्जर, पुत्र, सीसै, 06.11.91	26.06.15 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती मधुबाला धाभाई, अ0, प्राशि	19.05.15	अजमेर

1/2/5/16

41	श्री अरमान खॉन, पुत्र, सीसै, 04.07.1995	04.02.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री अनवर खॉन, व्याख्याता	30.11.14	अजमेर
42	श्रीमती रेणू, पत्नि, बीएससी, 03.05.1972	17.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री विनोद सिंह राजावत कलि	27.11.15	अजमेर
43	श्री अजयकुमार शर्मा, पुत्र, बी.ए. 01.05.1991	10.07.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री कैलाश चन्द शर्मा चश्रे	11.06.15	अजमेर
44	श्री सुनीलकुमार पुत्र, बीए. 09.07.1994	19.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री छीतरमल शर्मा वअ	16.11.15	अजमेर
45	दिलीप सिंह, पुत्र, बीए. 02.03.90	30.03.15 लिपिक ग्रेड II	श्री जस्साराम बुराणिया, व0अ0	08.01.15	अजमेर
46	श्री कृष्णा टाक, पुत्र, सीसै, 24.11.95	22.04.15, लिपिक ग्रेड II	श्रीमती अनिता टाक, अ.	05.04.15	अजमेर
47	विक्रम सिंह, पुत्र, सीसै, 02.01.92	10.02.15 लिपिक ग्रेड II	श्री भवर सिंह, प्र0अ0,	19.11.14	अजमेर
48	मो0 शबीर खान, पुत्र, सीसै, 04.06.87	01.06.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मो0 शकूर, व0अ0	26.04.15	अजमेर
49	फिरोज काठात, पुत्र, सीसै, 23.09.94	28.09.15 लिपिक ग्रेड II	श्री साबू काठात, क0लि0	18.08.15	अजमेर
50	श्री संदीप फिडौदा, दत्तकपुत्र, बीए. 01.01.1996	09.04.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रामकैलाश वशाशि	26.01.15	अजमेर
51	श्रीमती सीमा चौधरी, पत्नि, बीए, 02.06.1989	26.06.2014 लिपिक ग्रेड II	श्री खुशीराम चौधरी कानिस्टेबल	16.05.14	अजमेर
52	श्री दीपक कुमार, पुत्र, सीसै, 05.08.92	31.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री किशनालाल अध्यापक	11.12.15	भरतपुर
53	श्री नमन पचौरी, पुत्र, सीसै, 25.02.96	13.10.2014 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती लता दुबे, व.अ.	11.08.14	भरतपुर
54	कुमारी सपना शर्मा, पुत्री, एमए, 05.08.1991	22.01.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री ऋषिलाल शर्मा वअ	18.11.14	भरतपुर
55	श्री रुपेन्द्र कुमार शर्मा, दत्तकपुत्र, बीकॉम, 11.09.1992	19.09.2012 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती कान्ता देवी शर्मा, चश्रेक	19.08.12	भरतपुर
56	कु0 नेहा शर्मा, पुत्री, एमए, 25.07.89	02.07.15, लिपिक ग्रेड II	श्री कौशल किशोर गौड, प्र0अ0	13.06.15	भरतपुर
57	श्रीमती रश्मि गुप्ता, पत्नि, एमए. 03.07.1971	08.01.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री राधेश्याम गुप्ता प्रअ	15.11.15	कोटा
58	श्री लवलेश पाठक, पुत्र, बीए. 26.06.1990	20.11.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री पुरुषोतम पाठक कलि	31.10.15	कोटा
59	श्रीमती तनूजा, पत्नि, बीए. 20.12.1974	05.12.15 लिपिक ग्रेड II	श्री अजय कुमार, प्रधानाचार्य	10.11.15	कोटा
60	सुरभि कुकरेजा पुत्री, बीकॉम, 05.01.1994	31.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती कृष्णा माखीजा अध्यापिका	14.12.15	कोटा
61	श्री साहिल मो0, पुत्र, सीसै, 18.09.95	10.09.12 लिपिक ग्रेड II	श्री अशफाक मो0, शाशि, प्राशि	16.06.12	कोटा
62	श्री देवेन्द्र कुमार, पुत्र, सीसै, 01.07.93	12.08.10 लिपिक ग्रेड II	श्री मन्शाराम नागर, प्र0अ0, प्राशि	26.05.10	कोटा
63	श्री हर्षित अहारी, पुत्र, बीए, 09.05.1992	13.06.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री मगनलाल प्राध्यापक	02.05.15	उदयपुर

12/5/16

64	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र, सीसै, 17.07.1977	03.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री महेश चन्द प्राध्यापक	07.11.15	उदयपुर
65	श्रीमती रेणुका जैन, पत्नि, एम ए, 06.06.1970	14.09.2010 लिपिक ग्रेड II	श्री विमल प्रकाश जैन, आर्युवेद चिकित्सक	12.07.10	उदयपुर
66	श्रीमती कोमल मेघवाल, पत्नि, सीसै, 10.10.1997	16.05.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री राकेश गहलोत चश्रेक	25.02.15	उदयपुर
67	श्री अभिषेक कुमार, पुत्र, सीसै, 11.12.1994	18.04.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री सुप्रिम कुमार, वअ.	16.03.15	उदयपुर
68	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि बीकॉम, 10.08.82	10.09.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री जीवतराम शाशि	07.08.15	उदयपुर
69	मनीष मेहता, पुत्र, एमकॉम, 26.05.77	01.01.16, लिपिक ग्रेड II	श्री ओमप्रकाश जैन, व0लि0	24.11.15	उदयपुर
70	नवरतन कुमार, पुत्र, बीएससी, 10.12.86	12.01.16, लिपिक ग्रेड II	श्री घनश्याम खटीक, प्र0अ0, प्राशि	19.12.15	उदयपुर
71	श्रीमती ज्योति सोनी, पत्नी, एमए, 30.06.90	05.02.16, लिपिक ग्रेड II	श्री सम्पत लाल सोनी, अ0 प्राशि	13.01.16	उदयपुर
72	मो0 साहिल शेख, पुत्र, सीसै, 24.03.98	10.08.15, लिपिक ग्रेड II	श्री मो0 यूसूफ शेख, क0लि0, प्राशि	30.06.15	उदयपुर

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद – च. श्रे. क.

मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक – शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति/2016 दिनांक 13.05.16 के तहत 29 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है का विवरण (स्थिर पारिश्रमिक 6670 रुपये)

क्र. सं.	आवेदक का नाम,संबंध शैक्षणिक योग्यता व जन्म तिथि	आवेदन की दि. तथा आवेदित पद	मृतक कर्मचारी का नाम मय पदनाम	मृत्यु तिथि	आवंटित मंडल
1	2	3	4	5	6
1	श्री मदनगोपाल हर्ष पुत्र, 8वी. 24.08.1980	08.01.2016 चश्रेक	श्रीमती चन्दा देवी, चश्रेक	26.12.15	बीकानेर
2	श्री गजेन्द्र गहलोत पुत्र, चौथी, 11.11.1985	13.01.2016 चश्रेक	श्रीमती माली कंवरी चश्रेक	03.12.15	बीकानेर
3	श्री विजेन्द्र लोट पुत्र, 7वीं, 02.07.1989	13.01.2016 चश्रेक	श्री अमरचन्द लौट चश्रेक	14.12.15	बीकानेर
4	श्री संदीप कुमार, पुत्र, 7वी., 02.05.1981	01.05.2015 चश्रेक	श्री रामप्रकाश अध्यापक	01.04.15	बीकानेर
5	श्री प्रकाश नायक, पुत्र, सातवी 10.01.97,	14.10.15 चश्रेक	जोगाराम, चश्रेक, प्राशि	25.08.15	बीकानेर
6	ओमप्रकाश, पुत्र, नवी, 05.06.78	19.11.15 चश्रेक	तुलसी राम, चश्रेक, प्राशि	19.10.15	चूरू
7	श्री नरेन्द्र, पुत्र 10वीं, 10.07.1995	28.01.2016 चश्रेक	श्री रामनिवास चश्रेक	20.12.15	चूरू
8	श्री दातार सिंह पुत्र, 8वीं, 05.07.1983	19.01.2016 चश्रेक	श्री सायर सिंह चश्रेक	19.12.15	चूरू
9	श्री लखवीर सिंह, पुत्र, पाचवी, 31.12.88	22.06.15 चश्रेक	श्री राधेश्याम योगी, चश्रेक	07.05.15	चूरू
10	श्री आशीष मीणा, पुत्र, 10वी फेल, 30.05.1990	28.10.2015 चश्रेक	श्री उमा शंकर चश्रेक	09.09.15	जयपुर
11	श्री सुरेन्द्र चौहान, पुत्र, 10वी, 01.02.1991	02.09.2015 चश्रेक	श्री अमरसिंह चश्रेक	11.08.15	जयपुर
12	श्रीमती शबनम बानो, पत्नि, 7वी. 28.02.1990	15.04.2015 चश्रेक	मोहम्मद राहिल हसन, चश्रेक	20.02.15	जोधपुर
13	श्री विकास टेलर, पुत्र, 8वीं, 08.02.1982	02.01.2015 चश्रेक	श्री कैलाश चन्द टेलर कलि	27.11.14	अजमेर
14	श्री पवन तुनवाल, पुत्र, 10वीं फेल, 31.08.1992	28.09.2015 चश्रेक	श्रीमती मुन्नी देवी चश्रेक	09.09.15	अजमेर
15	नरेश कुमार, पुत्र, आठवी, 26.09.79	07.07.15, चश्रेक	जगदीश प्रसाद, चश्रेक, प्राशि	22.03.15	अजमेर
16	श्रीमती केसर देवी, पत्नि साक्षर 01.01.1965	13.11.2014 चश्रेक	श्री दयाराम चश्रेक	10.09.14	भरतपुर
17	श्री कानसिंह पुत्र, 8वीं, 12.08.1988	20.04.2015 चश्रेक	श्रीमती लक्ष्मी बाई चश्रेक	25.02.15	कोटा
18	श्री ओम प्रकाश पुत्र, 7वी, 20.04.1988	14.01.2016 चश्रेक	श्री चन्द्र शेखर सोनी चश्रेक	09.12.15	कोटा
19	श्री दिनेश कुमार भील, पुत्र, 10वीं, 25.06.1993	31.08.2015 चश्रेक	श्री रामलाल भील, चश्रेक	05.08.15	कोटा
20	श्री धीरज मालव पुत्र, 8वी., 05.07.1988	20.10.2015 चश्रेक	श्री रामरतन मालव अध्यापक	06.10.15	कोटा

21	श्रीमती मांगी बाई, पत्नि, चौथी फेल, 21.06. 1988	15.02.2016 चश्रेक	श्री चौथमल गमेती, चश्रेक	29.11. 15	उदयपुर
22	श्रीमती सुगना देवी, पत्नि, साक्षर, 10.05.1977	15.02.2016 चश्रेक	श्री मांगुसिंह, व.अ.	16.01. 16	उदयपुर
23	विमला देवी, पत्नी, साक्षर, 12.06.78	30.04.15 चश्रेक	श्री विनोद कुमार, शाशि, प्राशि	02.02. 15	उदयपुर
24	श्री भगवतीलाल भाम्बी, पुत्र, आठवी, 28.06.73	23.11.06 चश्रेक	श्री मांगीलाल भाम्बी, अ0	22.09. 06	उदयपुर
25	श्री अशोक कुमार, पुत्र, नवी, 02.01.90	26.09.13 चश्रेक	श्री लालचन्द मईडा, अ0, प्राशि	27.08. 13	उदयपुर
26	श्री संदीप कुमार, पुत्र, आठवी, 19.11.93	27.02.15 चश्रेक	श्री सुरेशचन्द चश्रेक, प्राशि	01.01. 15	उदयपुर
27	श्री विजय हरिजन, पुत्र, आठवी, 05.01.86	09.04.15 चश्रेक	श्री मांगीलाल चश्रेक, प्राशि	22.02. 15	उदयपुर
28	श्री दिलीप कुमार मीणा, पुत्र, पांचवी, 01.01.92	15.02.14 चश्रेक	श्री तोलाराम, चश्रेक, प्राशि	23.12. 13	उदयपुर
29	उमिया मीणा, पुत्री, पांचवी, 01.01.94	26.06.15 चश्रेक	श्री अमरेंग मीणा, चश्रेक, प्राशि	19.05. 15	उदयपुर

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प.5(51)कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर, दिनांक : 31 MAY 2016

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शसन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त (जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

राज्य में वर्तमान में राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 प्रचलित है। इन नियमों के नियम–2(ग) में आश्रित की परिभाषा निम्नानुसार है :–

"आश्रित" से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत सरकारी कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित थे"

इन्हीं नियमों के नियम–5 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.04.2015) में निम्नानुसार प्रावधान है :–

"यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित की इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी या कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु एवं आश्रित की नियुक्ति के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो, परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करती है।"

राज्य सरकार के समक्ष ऐसे प्रकरण मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हुए हैं, जिसमें मृतक कर्मचारी के ऐसे आश्रित पुत्र द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति चाही जा रही है, जिसकी पत्नी पहले से ही नियोजित (नियम–5 में यथा परिभाषित) है। ऐसे में यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या ऐसे पुत्र को नियम–2(ग) के तहत राज्य कर्मचारी की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित माना जावे ?

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मृतक कर्मचारी का ऐसा पुत्र, जिसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम–2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि भविष्य में उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए ही अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

कार्यालय निदेशक, माध्यकि शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के पत्रांकः–प.12(1)शिक्षा–2/अनु.नियु.प्रयो.सहा./2016 दिनांक 27.03.2017 एवं 03.10.2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के कुल 14 अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के संमुख अंकित जिले में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्नांकित शर्तो की पालना सुनिश्चित करेंगे:–

1 राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की जन्मतिथि, शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों /प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेंगे।

2 प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर पदस्थापन उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11 व 12 के नामांकन के घटते हुए क्रम में) में किए जावें।

3 मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र/राज्य सरकार या कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो कि पूर्णतः या भागतः केन्द्र/किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन (सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय या आश्रित के नियुक्ति के समय पर) नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं हो एवं न ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है। इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम–5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें।(मृतक की विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करने पर यह नियम लागू नहीं होगा।)

4 मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है, इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।

5 आवेदक पति/पत्नी होने पर कार्यग्रहण तिथि तक पुनः विवाह नहीं किया है, का शपथ पत्र(प्रारूप संलग्न)।

6 आवेदनकर्ता यदि विवाहित है तो आवेदक एवं पति/पत्नी (दोनों से) से बिन्दू संख्या–3 के अनुसार नियोजित नहीं होने का शपथ पत्र।

7 कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

8 दत्तक पुत्र–पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

9 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे(प्रारूप संलग्न)।

10 संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल 08 में प्रोबेशनर ट्रेनी(परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रूपये 18500/–प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

11 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

12 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।

13 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

14 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 12 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा।

15 प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं होगी।

16 प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम– 1971 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए।

17 राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।

18 आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र(प्रारूप संलग्न)

19 आवेदक द्वारा धुम्रपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व घोषणा पत्र अन्य घोषणाओं के साथ(प्रारूप संलग्न)।

20 आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र।

21 राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(51)डीओपी/ए–II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम–5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।

22 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक प.5(51) कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम–2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

23 आवेदक की सेवा–पुस्तिका में लाल स्याही से यह अंकित किया जावें कि श्री/सुश्री/श्रीमती——— को इनके माता/पिता/पति की मृत्यु पर मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों के भर्ती नियम–1996 के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई है।

चूंकि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा है, अतः संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन 15 दिवस के भीतर जारी कर प्रति निदेशालय को एवं संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–मूल आवेदन पत्र मय सूची

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12247/अनु.नियु./प्र.शा.स/ग्रेड–III/2017 दिनांक 07-01-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2)विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान–जयपुर
2. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा————
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा——————को संलग्न सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मूल ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि रिक्त पदों **(प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रेषित अर्थना में जिलेवार विज्ञापित पदों को ध्यान में रखते हुए)** के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें।
4. श्री——————को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा——————कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे।
5. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

शिक्षा समाचार राजस्थान

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवंटित जिले की सूची

दिनांकः– 07.01.2019

क्र.सं.	मृतक का नाम मय पदनाम व कार्यरत स्थान (रामावि / राउमावि)	कार्मिक की मृत्यु तिथि	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	नियुक्ति हेतु आवंटित जिला
1	स्व. डुंगरराम अध्यापक–III, राउमावि चकखारा, श्रीगंगानगर	10/2/2018	अभिषेक मेहरडा 12वी विज्ञान, जन्मतिथि 27.07.2000	पुत्र	03-05-18 Lab. Ass. III	GANGANAGER
2	स्व. वीणा खुगर, वरिष्ठ अध्यापक रामावि फतुही, श्रीगंगानगर	2/6/2018	श्वेता खुगर 12वी विज्ञान जन्मतिथि 20.07.89	पुत्री	24-07-18 Lab. Ass. III	JAIPUR
3	स्व. रूकमणी शर्मा पुस्तकालयध्यक्ष, राउमावि झोटवाडा, जयपुर	1/9/2018	विजयकृष्ण शर्मा बी.एस.सी. जन्मतिथि 10.07.84	पुत्र	01-10-18 Lab. Ass. III	JAIPUR
4	स्व. चन्दरलाल मीणा वरिष्ठ अ. राउमावि सेहरा, लक्ष्मणगढ,अलवर	28-05-18	लोकेश कुमार मीणा 12 वीं विज्ञान जन्मतिथि 19.04.99	पुत्र	04-07-17 Lab. Ass. III	ALWAR
5	स्व. विद्यानन्द प्रधानाचार्य राउमावि जौनायचाखुर्द, अलवर	29-05-18	जितेन्द्र वर्मा बी.एस.सी जन्मतिथि 27.05.84	पुत्र	11-07-18 Lab. Ass. III	ALWAR
6	स्व. रमेश वरिष्ठ अध्यापक राउमादि नागौरी गेट, जोधपुर	15-08-18	उत्तम रूणवाल 12 वीं विज्ञान जन्मतिथि 07.08.97	पुत्र	11-10-18 Lab. Ass. III	JODHPUR
7	स्व. श्यामदास वैष्णव अध्यापक राउप्रावि जसपाली, पीपाड़शहर, जोधपुर	29-05-18	नृसिंह दास वैष्णव बीएससी जन्मतिथि 07.07.95	पुत्र	09-07-18 Lab. Ass. III	JODHPUR
8	स्व. सुनीता बाबर वरिष्ठ अध्यापक राबाउमावि आर.के.मारू, सीकर	4/8/2018	अरविन्द कुमार 12वी विज्ञान जन्मतिथि 04.03.87	पति	27-08-18 Lab. Ass. III	JHUNJHNU
9	स्व. परबत सिंह गहलोत वरिष्ठ अध्यापक राउमावि सेसली, बाली, पाली	29-08-17	राजवीर सिंह बी.टेक. जन्मतिथि 22.01.92	पुत्र	30-09-17 & 28-08-18 Lab. Ass. III	PALI
10	स्व. मनोहर सिंह अध्यापक रामावि डकातरा, जालोर	29-08-18	करण सिंह 12वीं विज्ञान जन्मतिथि 25.12.96	पुत्र	25-09-18 Lab. Ass. III	JALORE
11	स्व. देवेन्द्र कुमार शर्मा राउमावि अमाई, जयपुर	16-06-18	विरेन कुमार शर्मा बी. टेक जन्मतिथि 06.09.96	पुत्र	30-07-18 Lab. Ass. III	JAIPUR
12	स्व. अरूणा शर्मा वरिष्ठ अध्यापिका राउमावि बोराबास, कोटा	13-10-18	[illegible]हिल शर्मा 12 वीं विज्ञान जन्मतिथि 06.09.96	पुत्र	12-11-18 Lab. Ass. III	KOTA
13	स्व. पवन कुमार शर्मा पु.अ. ग्रेड–III राउमावि छारसा, जयपुर	4/6/2017	रोहित कुमार शर्मा 12 वी विज्ञान जन्मतिथि 27.05.2000	पुत्र	10-07-17 & 12-11-18 Lab. Ass. III	JAIPUR
14	स्व.रामावतार शर्मा अध्यापक राउमावि शेरपुरा, जयपुर	18-03-18	नवीन शर्मा 12 वीं विज्ञान जन्मतिथि 10.07.9[illegible]	पुत्र	16-04-18 & 14-07-18 Lab. Ass. III	JAIPUR

शैक्षिक समाचार राजस्थान

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ. 5 (51) डीओपी/ए–II/88 पार्ट   जयपुर, दिनांकः 25.04.2012

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) इन संशोधन नियमों का नियम 2 तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा और इन संशोधन नियमों का नियम 6 दिनांक 01.09.2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **नियम 2 का संशोधन .–** राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के खंड (ख) में विद्यमान उप–खंड (ii) के स्थान पर तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

" (ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अस्थायी रूप से, जिसमें परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवीक्षा की कालावधि सम्मिलित है, कोई पद धारित कर रहा था। "

22/2012

Teacher's 33+

3. **नियम 6 का संशोधन** .– उक्त नियमों के नियम 6 के उप–नियम (1) में, 01–09–2006 से,–

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति " वेतनमान् सं. 1 से 9क" के स्थान पर अभिव्यक्ति " ग्रेड वेतन सं. 1 से 10 (रू. 1300 से 2800/–)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति " वेतनमान सं. 10 से 11" के स्थान पर अभिव्यक्ति " ग्रेड वेतन सं. 11 से 12 (रू. 3200 से 3600/–)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

22/2012

Teacher's 33+

कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला...15 Sep 2017

पिता की मौत के बाद नौकरी पर विवाहित बेटी का भी हक

शैक्षिक समाचार राजस्थान

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि नौकरी के दौरान पिता की मौत की स्थिति में विवाहित पुत्रियों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का समान अधिकार है। पहले यह अधिकार सिर्फ अविवाहित पुत्रियों तक ही सीमित था। लेकिन पुत्रों के मामले में विवाह की कोई बाधा नहीं थी। लैंगिक समानता की खाई पाटने के मामले में अदालत के इस फैसले को मील का पत्थर माना जा रहा है। बीरभूम जिले की

पूर्णिमा दास ने वर्ष 2011 में अपने पिता हारूचंद्र दास की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी की अर्जी दी थी। लेकिन सरकार ने यह कह उसकी अर्जी खारिज कर दी थी कि कानून में विवाहित पुत्रियों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। हारूचंद्र को कोई पुत्र नहीं था और सिर्फ तीन बेटियां थीं।

विवाह के बाद बेटी माता-पिता के दिल में रहती है

खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि बेटी के विवाह के बावजूद माता-पिता के साथ उसके संबंध खत्म नहीं होते। वह अपने माता-पिता के दिल में रहती है। अदालत ने इस बारे में सरकार की अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए उसमें जरूरी संशोधन का निर्देश दिया है।

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

राजस्थान मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है । अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का उद्देश्य मृतक आश्रित परिवार को तुरन्त राहत पहुंचाना है किन्तु ध्यान में आया है कि अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा नियमों की भावना के विपरीत प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मृतक आश्रित परिवार को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पडता है । अतः मृतक आश्रित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं :–

1. कार्मिक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर संस्था प्रधान कार्मिक परिवार को नियमों में निर्धारित आवेदन पत्र (प्रतिसंलग्न) आश्रित परिवार को भिजवाकर मृत्यु के **90दिवस** के भीतर पात्र आशार्थी का आवेदन करने की राय प्रदान करेगें ।
2. मृतक आश्रित परिवार द्वारा विद्यालय/कार्यालय में आवेदन करने पर निर्धारित विभागीय जांच सूची (प्रतिसंलग्न) के अनुसार प्रकरण का समुचित परिक्षण कर प्रकरण **15दिवस** की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें । जिसकी सूचना आवेदक को भी दी जावेगी ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रकरण का नियमों के परिपेक्ष्य में विभागीय जांच सूची अनुसार अपनी स्पष्ट अभिशंषा परिशिष्ट '1' में कर प्रकरण **15दिवस** के अन्दर अपने मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत करेगें । प्रायः ध्यान में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अपात्र आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकार कर नियमों के विपरीत आवेदन पत्र को अग्रेषित कर देते हैं जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है अतः जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि अपात्र आवेदन का आवेदन पत्र में नियुक्ति की अभिशंषा न की जावे । तथा प्रकरण का अपने स्तर पर निस्तारण करें ।
4. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने की अवधि से **एक सप्ताह** के भीतर आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट अभिशंषा के साथ निदेशालय को भिजवावें ।
5. निदेशालय द्वारा प्रकरण की जांच में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो उस कमी की पूर्ति हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करने के साथ साथ आवेदक को भी सूचित किया जाता है । तदुपरान्त भी ध्यान में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आक्षेपों की विधिवत पूर्ति किये बिना प्रकरण निदेशालय को भिजवा देते हैं । जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है ।
6. शिथिलन योग्य प्रकरणों में जिला शिक्षा अधिकारी मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति का परिक्षण किये बिना तथा प्रकरण के गुणदोष पर विचार किये बिना निदेशालय को प्रकरण भिजवा दिये जाते हैं जो राज्य सरकार स्तर पर आक्षेपित होकर प्राप्त होते हैं । इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति का परिक्षण कर अपनी स्पष्ट जांच रिपोर्ट तथा अभिशंषा के साथ स्वयं प्रमाण पत्र जारी करें ।

7. प्रायः ध्यान में आरहा है कि अनेक जिला शिक्षा अधिकारी उनके स्तर पर वांछित प्रमाण पत्र स्वयं के हस्ताक्षरों से जारी नहीं कर केवल प्रतिहस्ताक्षर करते हैं जो प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब का कारण बनता है । अतः जो प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से जारी होने है उन्हें वे स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करें ।
8. निदेशालय द्वारा नियुक्ति अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् भी नियुक्ति अधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करने में अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आवेदक से वांछित दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करें तथा तत्काल नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करें ।
9. दिनांक 30.04.2016 तक विभाग में प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 31.05.2016 तक वाहक के साथ निदेशालय को भिजवा देंवे । इस संबंध में मंडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर भिजवावें कि 30.04.2016 तक प्राप्त समस्त प्रकरण भिजवा दिये गये हैं कोई भी प्रकरण अधिनस्थ कार्यालय में लंबित नहीं है । इसके पश्चात् पूर्व अवधि का प्रकरण प्राप्त होता है तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

समस्त उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करावें ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

क्रमांकः–शिविरा/मा/साप्र/ए–4/3901/मूल/विविध/2016 दिनांकः– 13.05.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय
3. अनुभाग अधिकारी सिस्टम एनेलेसिस को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर-:

कार्यालय आदेश :-

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश कमांक ए-5(51)कार्मिक/क-2/88-I दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार लिपिक ग्रेड II 72 एवं 29 सहायक कर्मचारी कुल 101 अभ्यर्थीयों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित मण्डल में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जाता है ।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :-

1- राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जॉच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे।

राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेगें।

2- मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बार्ड या उपकम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा ।)

3- मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।

4- कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण / भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02..01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।

5- दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।

6- राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

7- संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ ए-11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।

17/5/16

8— परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।

9— परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा,सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।

10— परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।

11— परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 12 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।

12— प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं होगी ।

13— लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए—II/ 2006 दिनांक 05.07.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अहर्ता नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी।

14— लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 05.07.10 के अनुसार कम्प्युटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उर्त्तीण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क—2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

15— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा **नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगें ।**

16— **राज्य सरकार की अधिसूचना एफ—5(51)डीओपी/ए—II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम—5 में हुए संशोधन की पालना सुनिशिचित करें।**

17— **यदि मृतक आश्रित प्रांरभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रांरभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी । रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।**

18— **माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।**

चूकि विभाग में लिपिक ग्रेड II/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियॉं उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय,राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशकमाध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति मूल/2016/ दिनांक : 13.05.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

(1) उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय,राज0जयपुर ।
(2) संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राज0 जयपुर ।
(3) संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
(4) निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर ।
(5) उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ... को संलग्न सूची (लिपिक ग्रेड II तथा सहायक कर्मचारी के कुल) में उल्लेखित अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता हैं कि रिक्त पदो के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें ।
(6) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रथम)...................................... ।
(7) स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग ।
(8) अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
(9) रक्षित पत्रावली ।

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशकमाध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद – लिपिक ग्रेड II

मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक – शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति/2016 दिनांक 13.05.2016 के तहत 72 लिपिक ग्रेड II पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है का विवरण (स्थिर पारिश्रमिक 8910 रुपये)

क्र. सं.	आवेदक का नाम,संबंध शैक्षणिक योग्यता व जन्म तिथि	आवेदन की दि. तथा आवेदित पद	मृतक कर्मचारी का नाम मय पदनाम	मृत्यु तिथि	आवंटित मंडल
1	2	3	4	5	6
1	श्री शील स्वामी पुत्र बी.ए. 04.05.1995,	29.03.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री शशि स्वामी लिपिक ग्रेड II	23.02.16	बीकानेर
2	श्री अरूण कुमार तिवाडी, पुत्र, बीकॉम, 21.12.90	28.01.16 लिपिक ग्रेड II	श्री श्यामलाल तिवाडी, अ0, प्राशि	10.01.16	बीकानेर
3	श्री शिवकरण, पुत्र, बीए, 01.07.83	26.10.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मालाराम गोदारा, व0अ0, प्राशि	15.08.15	बीकानेर
4	श्री नितेश भारद्वाज, पुत्र, बीए, 16.11.96	01.01.16 लिपिक ग्रेड II	श्री बालचन्द शर्मा, अ0, प्राशि	26.11.15	बीकानेर
5	श्रीमती किरण देवी, पत्नी, सीसै, 05.08.86	30.11.15 लिपिक ग्रेड II	श्री भाल सिह, अ0, प्राशि	14.10.15	बीकानेर
6	श्री सुरजपाल सिंह, पुत्र, एम.ए., 20.02.1990	10.07.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री कैलाशचन्द्र सक	12.06.15	चूरू
7	श्री अशोक कुमार, पुत्र, सीसै, 15.06.89	20.05.13 लिपिक ग्रेड II	श्री रामप्रताप, अ0, प्राशि	13.04.13	चूरू
8	श्री विजय सिंह, पुत्र, सीसै, 08.09.95	05.05.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मान सिंह, अ0, प्राशि	13.02.15	चूरू
9	श्रीमती सुनिता शर्मा, पत्नी, सीसै, 02.10.68	29.10.12 लिपिक ग्रेड II	श्री राधामोहन शर्मा, अ0, प्राशि	02.08.12	चूरू
10	श्री मोहित मोर्य, पुत्र, बी. एससी. , 08.09.1993	09.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रमेश कुमार कलि	04.11.15	चूरू
11	श्री राजपाल, पुत्र, बी.ए. 01.01.1994	21.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रामेश्वर लाल व.अ.	17.11.15	चूरू
12	श्री विजेन्द्रसिंह, पुत्र, सीसे, 27.04.1983	04.02.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री गिरधारी लाल का. स.	14.01.16	चूरू
13	श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र, बीए. 11.09.1985	23.10.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री सावन्त सिंह वलि	24.08.15	चूरू
14	रामावतार शर्मा, पुत्र, बीए 23.07.88	22.12.15 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती लक्ष्मीदेवी,स.क.	30.11.15	चूरू
15	श्री पुरुषोतम बलाई, पुत्र, सीसै, 05.10.1994	21.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती भगवती देवी सक	09.10.15	जयपुर
16	श्री मुकेश सैन, पुत्र, बी.ए. 10.10.1993	19.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री लक्ष्मीनारायण सैन सक	28.11.15	जयपुर
17	कुलदीप चौधरी, पुत्र बी.ए. 15.08.1994	12.01.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री रंगलाल जाट, अध्यापक	19.12.15	जयपुर

12/5/16

18	श्री मोहित कुमार पुत्र एम कॉम 08.09.1991	31.10.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रामबाबु शर्मा वलि	27.09. 15	जयपुर
19	श्रीमती मीरा देवी पत्नि, बी.ए. 20.06.85	07.09.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रतनलाल कानिस्टेबल ड्राईवर	10.07. 15	जयपुर
20	श्रीमती अनीता मीणा, पत्नि, बी.ए. 07.06.1984	17.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री चतरलाल मीणा अध्यापक	04.11. 15	जयपुर
21	श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र, सीसै, 05.07.1993	30.06.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री नन्नुमल शर्मा, स. क.	27.05. 15	जयपुर
22	श्री राहुल कुमार, पुत्र, बीएससी II, 27.12.96	20.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती सन्तरा खीचड, अ0, प्राशि	12.10. 15	जयपुर
23	श्री विरेन्द्र कुमार, पुत्र, एमए, 24.06.79	15.10.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री राजेन्द्र कुमार, प्र0अ0, प्राशि	09.09. 15	जयपुर
24	श्री राहुल गांधी, पुत्र, सीसै, 06.08.90	28.11.14 लिपिक ग्रेड II	श्री भीमसेन गांधी, अ0, प्राशि	25.10. 14	जयपुर
25	श्री नितेश कुमार मुदगल, पुत्र, बीकॉम, 10.04. 92	03.07.14 लिपिक ग्रेड II	श्री प्रवीण कुमार शर्मा, प्र0अ0, प्राशि	02.06. 14	जयपुर
26	श्री कपिल सोलंकी पुत्र, सीसै. 19.05.1996	31.08.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री शैतानसिंह व्याख्याता	08.08. 15	जोधपुर
27	श्री प्रेमप्रकाश पुत्र, सीसै. 27.03.1997	29.11.2014 लिपिक ग्रेड II	श्री होतीराम मेघवाल अध्यापक	01.11. 14	जोधपुर
28	श्री सुखदेव, पुत्र, सीसै, 05.03.90	03.08.15 लिपिक ग्रेड II	श्री रेवतराम, अ0 प्राशि	01.07. 15	जोधपुर
29	श्री अशोक कुमार, पुत्र, बीए, 22.08.81	16.06.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मूलाराम अ0, प्राशि	18.05. 15	जोधपुर
30	श्री सुभाष कुमार, पुत्र, एमए, 05.07.85	23.07.15 लिपिक ग्रेड II	श्री भागूराम, शाशि0 प्राशि	30.06. 15	जोधपुर
31	श्री सुरेश कुमार, पुत्र, सीसै, 27.11.88	27.03.15 लिपिक ग्रेड II	श्री बाबूलाल, प्र0अ0, प्राशि	30.01. 15	पाली
32	श्री अभिषेक सेन, पुत्र, सीसै, 19.07.96	12.03.15 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती चन्द्रकान्ता सेन, अ0, प्राशि	13.02. 15	पाली
33	सीमा बिश्नोई, पुत्री, सीसै, 26.09.95	05.06.13 लिपिक ग्रेड II	श्री पूनमाराम बिश्नोई, अ0, प्राशि	28.04. 13	पाली
34	श्री रवि सैन, पुत्र, सीसै, 10.06.1993	04.08.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री पारस मल नाई व्याख्याता	20.06. 15	पाली
35	श्री राकेश, पुत्र, बीए, 29.07.91	19.08.13 लिपिक ग्रेड II	श्री शोभाराम, अ0, प्राशि	09.07. 13	पाली
36	श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र, सीसै, 16.08.1981	03.02.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री हुकमसिंह अध्यापक	01.01. 16	पाली
37	सुश्री इन्दिरा कुमारी पुत्री, सीसै, 13.03.1997	22.01.2016, लिपिक ग्रेड II	श्री भूराराम वरिष्ठ अध्यापक	12.12. 15	पाली
38	श्रीमती ललिता गोस्वामी, पत्नि, सीसै, 02.03. 1979	24.02.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री विक्रम पुरी व0अ	16.12. 14	पाली
39	श्री अनुपम मिश्रा, पुत्र, एमए, 11.05.83	03.04.14 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती उमारानी शर्मा, अ0, प्राशि	06.03. 14	अजमेर
40	श्री पवन कुमार गुर्जर, पुत्र, सीसै, 06.11.91	26.06.15 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती मधुबाला धाभाई, अ0, प्राशि	19.05. 15	अजमेर

12/5/16

41	श्री अरमान खॉन, पुत्र, सीसै, 04.07.1995	04.02.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री अनवर खॉन, व्याख्याता	30.11.14	अजमेर
42	श्रीमती रेणू, पत्नि, बीएससी, 03.05.1972	17.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री विनोद सिंह राजावत कलि	27.11.15	अजमेर
43	श्री अजयकुमार शर्मा, पुत्र, बी.ए, 01.05.1991	10.07.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री कैलाश चन्द शर्मा चश्रे	11.06.15	अजमेर
44	श्री सुनीलकुमार पुत्र, बीए, 09.07.1994	19.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री छीतरमल शर्मा वअ	16.11.15	अजमेर
45	दिलीप सिंह, पुत्र, बीए, 02.03.90	30.03.15 लिपिक ग्रेड II	श्री जस्साराम बुराणिया, व0अ0	08.01.15	अजमेर
46	श्री कृष्णा टाक, पुत्र, सीसै, 24.11.95	22.04.15, लिपिक ग्रेड II	श्रीमती अनिता टाक, अ.	05.04.15	अजमेर
47	विक्रम सिंह, पुत्र, सीसै, 02.01.92	10.02.15 लिपिक ग्रेड II	श्री भवर सिंह, प्र0अ0,	19.11.14	अजमेर
48	मो0 शबीर खान, पुत्र, सीसै, 04.06.87	01.06.15 लिपिक ग्रेड II	श्री मो0 शकूर, व0अ0	26.04.15	अजमेर
49	फिरोज काठात, पुत्र, सीसै, 23.09.94	28.09.15 लिपिक ग्रेड II	श्री साबू काठात, क0लि0	18.08.15	अजमेर
50	श्री संदीप फिड़ौदा, दत्तकपुत्र, बीए, 01.01.1996	09.04.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री रामकैलाश वशाशि	26.01.15	अजमेर
51	श्रीमती सीमा चौधरी, पत्नि, बीए, 02.06.1989	26.06.2014 लिपिक ग्रेड II	श्री खुशीराम चौधरी कानिस्टेबल	16.05.14	अजमेर
52	श्री दीपक कुमार, पुत्र, सीसै, 05.08.92	31.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री किशनालाल अध्यापक	11.12.15	भरतपुर
53	श्री नमन पचौरी, पुत्र, सीसै, 25.02.96	13.10.2014 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती लता दुबे, व.अ.	11.08.14	भरतपुर
54	कुमारी सपना शर्मा, पुत्री, एमए, 05.08.1991	22.01.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री ऋषिलाल शर्मा वअ	18.11.14	भरतपुर
55	श्री रुपेन्द्र कुमार शर्मा, दत्तकपुत्र, बीकॉम, 11.09.1992	19.09.2012 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती कान्ता देवी शर्मा, चश्रेक	19.08.12	भरतपुर
56	कु0 नेहा शर्मा, पुत्री, एमए, 25.07.89	02.07.15, लिपिक ग्रेड II	श्री कौशल किशोर गौड़, प्र0अ0	13.06.15	भरतपुर
57	श्रीमती रश्मि गुप्ता, पत्नि, एमए, 03.07.1971	08.01.2016 लिपिक ग्रेड II	श्री राधेश्याम गुप्ता प्रअ	15.11.15	कोटा
58	श्री लवलेश पाठक, पुत्र, बीए, 26.06.1990	20.11.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री पुरुषोतम पाठक कलि	31.10.15	कोटा
59	श्रीमती तनूजा, पत्नि, बीए, 20.12.1974	05.12.15 लिपिक ग्रेड II	श्री अजय कुमार, प्रधानाचार्य	10.11.15	कोटा
60	सुरभि कुकरेजा पुत्री, बीकॉम, 05.01.1994	31.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्रीमती कृष्णा माखीजा अध्यापिका	14.12.15	कोटा
61	श्री साहिल मो0, पुत्र, सीसै, 18.09.95	10.09.12 लिपिक ग्रेड II	श्री अशफाक मो0, शाशि, प्राशि	16.06.12	कोटा
62	श्री देवेन्द्र कुमार, पुत्र, सीसै, 01.07.93	12.08.10 लिपिक ग्रेड II	श्री मन्शाराम नागर, प्र0अ0, प्राशि	26.05.10	कोटा
63	श्री हर्षित अहारी, पुत्र, बीए, 09.05.1992	13.06.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री मगनलाल प्राध्यापक	02.05.15	उदयपुर

12/5/16

64	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र, सीसै, 17.07.1977	03.12.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री महेश चन्द प्राध्यापक	07.11.15	उदयपुर
65	श्रीमती रेणुका जैन, पत्नि, एम ए, 06.06.1970	14.09.2010 लिपिक ग्रेड II	श्री विमल प्रकाश जैन, आर्युवेद चिकित्सक	12.07.10	उदयपुर
66	श्रीमती कोमल मेघवाल, पत्नि, सीसै, 10.10.1997	16.05.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री राकेश गहलोत चश्रेक	25.02.15	उदयपुर
67	श्री अभिषेक कुमार, पुत्र, सीसै. 11.12.1994	18.04.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री सुप्रिम कुमार, यअ.	16.03.15	उदयपुर
68	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि बीकॉम, 10.08.82	10.09.2015 लिपिक ग्रेड II	श्री जीवतराम शाशि	07.08.15	उदयपुर
69	मनीष मेहता, पुत्र, एमकॉम, 26.05.77	01.01.16, लिपिक ग्रेड II	श्री ओमप्रकाश जैन, व0लि0	24.11.15	उदयपुर
70	नवरतन कुमार, पुत्र, बीएससी, 10.12.86	12.01.16, लिपिक ग्रेड II	श्री घनश्याम खटीक, प्र0अ0, प्राशि	19.12.15	उदयपुर
71	श्रीमती ज्योति सोनी, पत्नी, एमए, 30.06.90	05.02.16, लिपिक ग्रेड II	श्री सम्पत लाल सोनी, अ0 प्राशि	13.01.16	उदयपुर
72	मो0 साहिल शेख, पुत्र, सीसै, 24.03.98	10.08.15, लिपिक ग्रेड II	श्री मो0 यूसूफ शेख, क0लि0, प्राशि	30.06.15	उदयपुर

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद – च. श्रे. क.

मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक – शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति/2016 दिनांक 13.05.16 के तहत 29 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है का विवरण (स्थिर पारिश्रमिक 6670 रुपये)

क्र. सं.	आवेदक का नाम,संबंध शैक्षणिक योग्यता व जन्म तिथि	आवेदन की दि. तथा आवेदित पद	मृतक कर्मचारी का नाम मय पदनाम	मृत्यु तिथि	आवंटित मंडल
1	2	3	4	5	6
1	श्री मदनगोपाल हर्ष पुत्र, 8वी. 24.08.1980	08.01.2016 चश्रेक	श्रीमती चन्दा देवी, चश्रेक	26.12.15	बीकानेर
2	श्री गजेन्द्र गहलोत पुत्र, चौथी, 11.11.1985	13.01.2016 चश्रेक	श्रीमती माली कंवरी चश्रेक	03.12.15	बीकानेर
3	श्री विजेन्द्र लोट पुत्र, 7वीं, 02.07.1989	13.01.2016 चश्रेक	श्री अमरचन्द लौट चश्रेक	14.12.15	बीकानेर
4	श्री संदीप कुमार, पुत्र, 7वी., 02.05.1981	01.05.2015 चश्रेक	श्री रामप्रकाश अध्यापक	01.04.15	बीकानेर
5	श्री प्रकाश नायक, पुत्र, सातवी 10.01.97,	14.10.15 चश्रेक	जोगाराम, चश्रेक, प्राशि	25.08.15	बीकानेर
6	ओमप्रकाश, पुत्र, नवी, 05.06.78	19.11.15 चश्रेक	तुलसी राम, चश्रेक, प्राशि	19.10.15	चूरू
7	श्री नरेन्द्र, पुत्र 10वीं, 10.07.1995	28.01.2016 चश्रेक	श्री रामनिवास चश्रेक	20.12.15	चूरू
8	श्री दातार सिंह पुत्र, 8वीं. 05.07.1983	19.01.2016 चश्रेक	श्री सायर सिंह चश्रेक	19.12.15	चूरू
9	श्री लखवीर सिंह, पुत्र, पाचवी, 31.12.88	22.06.15 चश्रेक	श्री राधेश्याम योगी, चश्रेक	07.05.15	चूरू
10	श्री आशीष मीणा, पुत्र, 10वी फेल, 30.05.1990	28.10.2015 चश्रेक	श्री उमा शंकर चश्रेक	09.09.15	जयपुर
11	श्री सुरेन्द्र चौहान, पुत्र, 10वी, 01.02.1991	02.09.2015 चश्रेक	श्री अमरसिंह चश्रेक	11.08.15	जयपुर
12	श्रीमती शबनम बानो, पत्नि, 7वी. 28.02.1990	15.04.2015 चश्रेक	मोहम्मद राहिल हसन, चश्रेक	20.02.15	जोधपुर
13	श्री विकास टेलर, पुत्र, 8वीं, 08.02.1982	02.01.2015 चश्रेक	श्री कैलाश चन्द टेलर कलि	27.11.14	अजमेर
14	श्री पवन तुनवाल, पुत्र, 10वीं फेल, 31.08.1992	28.09.2015 चश्रेक	श्रीमती मुन्नी देवी चश्रेक	09.09.15	अजमेर
15	नरेश कुमार, पुत्र, आठवी, 26.09.79	07.07.15, चश्रेक	जगदीश प्रसाद, चश्रेक, प्राशि	22.03.15	अजमेर
16	श्रीमती केसर देवी, पत्नि साक्षर 01.01.1965	13.11.2014 चश्रेक	श्री दयाराम चश्रेक	10.09.14	भरतपुर
17	श्री कानसिंह पुत्र, 8वीं, 12.08.1988	20.04.2015 चश्रेक	श्रीमती लक्ष्मी बाई चश्रेक	25.02.15	कोटा
18	श्री ओम प्रकाश पुत्र, 7वी, 20.04.1988	14.01.2016 चश्रेक	श्री चन्द्र शेखर सोनी चश्रेक	09.12.15	कोटा
19	श्री दिनेश कुमार भील, पुत्र, 10वीं, 25.06.1993	31.08.2015 चश्रेक	श्री रामलाल भील, चश्रेक	05.08.15	कोटा
20	श्री धीरज मालव पुत्र, 8वी., 05.07.1988	20.10.2015 चश्रेक	श्री रामरतन मालव अध्यापक	06.10.15	कोटा

21	श्रीमती मांगी बाई, पत्नि, चौथी फेल, 21.06. 1988	15.02.2016 चश्रेक	श्री चौथमल गमेती, चश्रेक	29.11. 15	उदयपुर
22	श्रीमती सुगना देवी, पत्नि, साक्षर, 10.05.1977	15.02.2016 चश्रेक	श्री मांगुसिंह, व.अ.	16.01. 16	उदयपुर
23	विमला देवी, पत्नी, साक्षर, 12.06.78	30.04.15 चश्रेक	श्री विनोद कुमार, शाशि, प्राशि	02.02. 15	उदयपुर
24	श्री भगवतीलाल भाम्बी, पुत्र, आठवी, 28.06.73	23.11.06 चश्रेक	श्री मांगीलाल भाम्बी, अ0	22.09. 06	उदयपुर
25	श्री अशोक कुमार, पुत्र, नवी, 02.01.90	26.09.13 चश्रेक	श्री लालचन्द मईडा, अ0, प्राशि	27.08. 13	उदयपुर
26	श्री संदीप कुमार, पुत्र, आठवी, 19.11.93	27.02.15 चश्रेक	श्री सुरेशचन्द चश्रेक, प्राशि	01.01. 15	उदयपुर
27	श्री विजय हरिजन, पुत्र, आठवी, 05.01.86	09.04.15 चश्रेक	श्री मांगीलाल चश्रेक, प्राशि	22.02. 15	उदयपुर
28	श्री दिलीप कुमार मीणा, पुत्र, पांचवी, 01.01.92	15.02.14 चश्रेक	श्री तोलाराम, चश्रेक, प्राशि	23.12. 13	उदयपुर
29	उमिया मीणा, पुत्री, पांचवी, 01.01.94	26.06.15 चश्रेक	श्री अमरेंग मीणा, चश्रेक, प्राशि	19.05. 15	उदयपुर

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प.5(51)कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर, दिनांक : 31 MAY 2016

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शसन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त (जिला कलक्टर्स सहित)

<u>परिपत्र</u>

राज्य में वर्तमान में राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 प्रचलित है। इन नियमों के नियम–2(ग) में आश्रित की परिभाषा निम्नानुसार है :–

"आश्रित" से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत सरकारी कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित थे"

इन्हीं नियमों के नियम–5 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.04.2015) में निम्नानुसार प्रावधान है :--

"यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित की इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी या कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु एवं आश्रित की नियुक्ति के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो, परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करती है।"

राज्य सरकार के समक्ष ऐसे प्रकरण मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हुए हैं, जिसमें मृतक कर्मचारी के ऐसे आश्रित पुत्र द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति चाही जा रही है, जिसकी पत्नी पहले से ही नियोजित (नियम–5 में यथा परिभाषित) है। ऐसे में यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या ऐसे पुत्र को नियम–2(ग) के तहत राज्य कर्मचारी की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित माना जावे ?

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मृतक कर्मचारी का ऐसा पुत्र, जिसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम–2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि भविष्य में उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए ही अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

18/2016

कृ.प.उ....

कार्यालय उप निदेशक (प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग,कोटा

<u>चैक लिस्ट</u>

नाम मृतक रा.कर्म. नाम मृतक आश्रित आवेदित पद :

1. आवेदक को नियुक्ति देने में आपत्ति नहीं होने का परिवार के निम्न वयस्क सदस्यों का शपथ–पत्र संलग्न करें :–

   (1) ....(2) ....(3) .... (4) ....

2. पेंशन राशि सहित परिवार के सदस्यों की कुल आय का अलग–अलग मदवार दर्शाते हुए आवेदक का शपथ–पत्र ।
3. आवेदक का शपथ–पत्र कि मेरी नियुक्ति उपरान्त अन्य कोई भी मृतक का आश्रित भविष्य में कभी भी नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।
4. मृतक आश्रित परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों का नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र कि :–

   मृतक राज्य कर्मचारी श्री ________ के आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं है एवं ना ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है।
5. नियम–5 के अन्तर्गत आक्षेप संख्या–04 में अंकितानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
6. नियुक्ति उपरान्त मृतक आश्रित परिवार का भरण–पोषण करने के सम्बन्ध में आवेदक का शपथ–पत्र जिसमें यह स्पष्ट अंकित करावें कि भरण–पोषण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त कर दी जावें।
7. आवेदक पुत्री है अतः अविवाहित होने का शपथ–पत्र संलग्न करें।
8. आवेदक मृतक की पत्नी है अतः पुनः विवाह नहीं किया है, का शपथ–पत्र संलग्न करें।
9. मृतक कर्मचारी की सेवाऐं निधन की तारीख तक नियमित एवं निरन्तर रही है का स्पष्ट प्रमाण–पत्र।
10. प्रार्थी की जन्म तिथि/शैक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्र ।
11. मृत्यु प्रमाण–पत्र
12. परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति का आवेदक का शपथ–पत्र
13. जिशिअ की ओर से मृतक परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति का प्रमाण–पत्र जिसमें स्पष्ट अंकित होना चाहिये कि " जिशिअ सन्तुष्ट है कि मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है "।
14. आवेदन पत्र का भाग संख्या 04 जो नियमों में निर्धारितानुसार हो जिसमें प्राप्ति रजिस्टर का क्रमांक तथा आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि का स्पष्ट अंकन होना चाहिए।
15. मृत राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्ति आदेश की प्रमाणित प्रति।
16. मृत राज्य कर्मचारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का था अथवा पंचायतीराज विभाग का था, प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
17. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया है तो मय औचित्य के शपथ–पत्र देवे।
18. विभाग द्वारा आवेदन–पत्र विलम्ब से भिजवाया जा रहा है तो कारणों के औचित्य सहित दोषी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें।
19. आवेदन–पत्र नियमों में निर्धारित प्रारूप में पूर्ण करके भिजवाये।
20. आवेदन पत्र के भाग सं. 03 तथा भाग सं. 06 में साक्षी के हस्ताक्षर, नाम एवं पूर्ण पता स्पष्ट अंकित करावें।
21. स्थिर वेतन पर नियुक्ति दी जानी है तदानुसार परिशिष्ट–1 में आवेदित पद एवं वेतनमान के कॉलम में आवेदित पद का स्थिर वेतन अंकित करें।
22. आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक की पत्नि का नियम 05 का शपथ पत्र एवं उसके बच्चों की संख्या जन्म तिथि सहित संलग्न करे।
23. आवेदन–पत्र को दो सेट में संलग्न करें।
24. अन्य

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN   64AA 627695

शपथ पत्र   क्रमांक 9479 दिनांक 1-6-13

मैं श्रीमती चन्द्रकला बाई पत्नि स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत आयु 49 वर्ष निवासी गोयन्दा जिला कोटा ईश्वर को साक्षी मानकर निम्नलिखित शपथ पत्र आलेखित करती हूं।

हस्ताक्षर-..................

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मेरे पति स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदस्थापन स्थान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद जिला कोटा मे कार्यरत थें जिनका राजकीय सेवा में रहते हुए दिनांक 19.04.2013 को निधन हो गया है।

हस्ताक्षर-..................

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मृतक के परिवार के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0स0	नाम	उम्र	आवेदक से संबंध	विवाहित / अविवाहित
01	श्रीमती चन्द्रकला बाई	49 वर्ष	माता	विवाहित

INDIA NON JUDICIAL

9484 1-6-13

राजस्थान RAJASTHAN 64AA 627693

शपथ पत्र

मैं शीला बाई पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत निवासी जुल्मी जिला कोटा की हूं जो ईश्वर को साक्षी मान कर निम्न शपथ पत्र आलेखित करती हूं।

हस्ताक्षर–............ शीलाबाई

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मेरे पिता स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद में कार्यरत थे। उनकी राजयकी सेवा में रहते हुए दिनांक 19.04.2013 को मृत्यु हो गई है।

हस्ताक्षर–............ शीलाबाई

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मुझे मेरे भाई श्री दिनेश कुमार को मृतक राजय कर्मचारी के आश्रित के नाते राजकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में मुझे कोई आपत्ति होगी।

हस्ताक्षर–............ शीलाबाई

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मेरे भाई श्री दिनेश कुमार को मृतक राज्य

पेज 2 पर –

ATTESTED 1-6-13

शीलाबाई

Identified by

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मृतक कर्मचारी के उपरोक्तानुसार परिवार के सदस्यों में से अपने पुत्र दिनेश कुमार को मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत राजकीय सेवा में कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमानुसार नियुक्ति प्रदान करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करती हूं।

हस्ताक्षर.....

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि उपरोक्त परिवार के सदस्यों में से किसी को भी मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत इससे पूर्व राजकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है।

हस्ताक्षर

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मृतक के परिवार के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/बैंक या जीवन बीमा निगम में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं है।

हस्ताक्षर

मैंनें मेरी पति की मृत्यु उपरान्त आज दिनांक 01/06/2013 तक पुर्नविवाह नहीं किया है।

हस्ताक्षर–

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान से सही एवं सत्य है ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर शपथग्रहीता.....

दिनांक –01.06.13

1-6-13

Identified by

क्रमांक 5533
दिनांक 31.5.14

शपथ पत्र

मैं श्रीमती चन्द्रकला बाई पत्नि स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत आयु 49 वर्ष निवासी गोयन्दा जिला कोटा की हूं जो ईश्वर को साक्षी मान कर निम्न शपथ पत्र आलेखित करती हूं।

हस्ताक्षर-.................

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मैं केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, सगंठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामीत्व या नियंत्रण मे हो,के अधीन सरकारी कर्मचारी (मेरे **पति स्व0 मॉगी लाल चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,पचांयत समिति,खैराबाद**) की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नही है. एवं ना ही पूर्व मे किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गयी है।

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान से सही है। ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

दिनांक–31.05.14

हस्ताक्षर-.................

ATTESTED
31.5.14
GOVERDHAN LAL SONI
Notary Ramganjmandi KTOA

Identified by

NOTARY
GOVERDHANLAL SONI
NOTARY
Area Ramganjmandi
Distt. Kota
Reg. No 101
GOVT. OF RAJASTHAN

SPECIAL ADHESIVE

NOTARY
GOVERDHANLAL SONI
NOTARY
Ramganjmandi
Distt. Kota
Reg. No 10

SPECIAL ADHESIVE

क्रमांक 5539
दिनांक 31/5/14

शपथ पत्र

मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत आयु 24 वर्ष निवासी गोयन्दा जिला कोटा की हूं जो ईश्वर को साक्षी मान कर निम्न शपथ पत्र आलेखित करती हूं।

हस्ताक्षर– दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, सगंठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामीत्व या नियंत्रण मे हो,के अधीन सरकारी कर्मचारी (मेरे पितास्व0 मॉगी लाल चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,पचांयत समिति,खैराबाद) की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नही है, एवं ना ही पूर्व मे किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गयी है। दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान से सही है। ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

दिनांक–31.05.14

हस्ताक्षर– दिनेश कुमार

ATTESTED
GOVERDHANLAL SONI
Notary Ramganjmandi Distt. KTOA

Identified by

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

RAJASTHAN

शपथ पत्र

क्रमांक 9481 दिनांक

63AA 760142

मैं कि दिनेश कुमार आत्मज स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत आयु 24 वर्ष निवासी गोयन्दा का हूं जो कि ईश्वर को साक्षी मानकर निम्नलिखित शपथ पत्र आलेखित करता हूं :-

मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य मृतक के निधन की तिथि को किसी भी सरकार / राज्य / केन्द्र / निगम / उपक्रम में नियोजित नहीं है। और न ही कोई भी सदस्य जीवन बीमा निगम / निगम / बैंक या समकक्ष विभाग में नियोजित है।

हस्ताक्षर- दिनेशकुमार

मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मृतक के परिवार के समस्त सदस्यों का उचित तौर पर भरण पोषण करूंगा। यदि किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे किसी भी आश्रित सदस्य की मेरे द्वारा उपेक्षा की जा रही हो तो मुझे प्राप्त होने वाले उक्त अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति समाप्त किए जाने का अधिकार शिक्षा विभाग को होगा। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर दिनेशकुमार

मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान से सही है। ईश्वर सत्य बोलने मे मेरी मदद करें।

दिनांक - 01-6-13

हस्ताक्षर- दिनेशकुमार

ATTESTED

1-6-13

GOVERD... LAL SONI

Notary ...

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY GOVERDHAN LAL SONI Area ... Distt KOTA Regd. No. 1017 GOVT. OF RAJASTHAN

RAJASTHAN

0483 1.6.13

63AA 760139

शपथ पत्र

स्व0 श्री मांगी लाल प्रजापत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत स्थान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद का निधन राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 19.04.2013 को होने के फलस्वरूप मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत निवासी गोयन्दा यह बयान करता हू कि मृतक के परिवार के सभी सदस्यों की किसी भी स्त्रोत से किसी भी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती है। मृतक का परिवार पूर्ण रूप से पेंशन पर आश्रित है। मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है, अतः मुझे मेरे पिता के स्थान पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें।

गवाह :-

1. रामलाल कुम्हार खैराबाद रोड आबादी टारफाड के पिछे रामगंजमंडी

2. ... निवास स्थान गणेश कॉलोनी रामगंजमंडी

दिनेश कुमार

हस्ताक्षर / अंगूठा

आश्रित / आश्रिता

ATTESTED

1.6.13

GOVERDHAN LAL SONI
Notary Ramganjmandi Distt. KOTA

NOTARY
GOVERDHANLAL SONI
NOTARY
Area Ramganjmandi
Distt. Kota
Reg. No 1017
GOVT. OF RAJASTHAN

SPECIAL ADHESIVE

क्रमांक 5532
दिनांक 31.5.14

शपथ पत्र

मैं श्रीमती शीला बाई आयु 22 वर्ष पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत निवासी जुल्मी जिला कोटा की हूं जो ईश्वर को साक्षी मान कर निम्न शपथ पत्र आलेखित करती हूं।

हस्ताक्षर–शीलाबाई

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मैं केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, सगंठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामीत्व या नियंत्रण मे हो,के अधीन सरकारी कर्मचारी (मेरे पितास्व0 मॉगी लाल चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,पचांयत समिति,खैराबाद) की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नही है, एवं ना ही पूर्व मे किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गयी है। शीलाबाई

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान से सही है। ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

दिनांक–31.05.14

ATTESTED
31.5.14
GOVERDHAN LAL SONI
Notary Ramganjmandi Distt KTOA

हस्ताक्षर–शीलाबाई

Identified by

कार्या. ...

SPECIAL ADHESIVE

NOTARY
GOVERDHANLAL SONI
NOTARY
Ramganj...
Distt. Kota
Reg No 1...
...T. OF RA...

क्रमांक 5535
दिनांक 31.5.14

शपथ पत्र

मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत आयु 24 वर्ष निवासी गोयन्दा जिला कोटा ईश्वर को साक्षी मानकर निम्न शपथ पत्र आलेखित करता हूं–

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे पिता स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदस्थापन स्थान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद जिला कोटा में राजकीय सेवा में कार्यरत रहते हुए दिनांक 19.04.2013 को मृत्यु हो गई है।

हस्ताक्षर– दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे मृतक पिता के परिवार के समस्त सदस्यों की जिनमें मैं स्वयं भी शामिल हूं, मासिक आय देय मूल पेंशन राशि रूपये –4,685/– एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पेन्शन उपदान (ग्रेच्युटी) राशि रूपये 3,62,619/– के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्रोत से आय प्राप्त नहीं होती है। दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान से सही एवं सत्य है ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

दिनांक –31.05.14

हस्ताक्षर शपथग्रहीता दिनेश कुमार

ATTESTED
31.5.14
GOVERDHAN LAL SONI
Notary Ramganjmandi Distt KTOA

Identified by

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY GOVERDHAN LAL SONI

राजस्थान RAJASTHAN

क्रमांक 940 दिनांक 1-6-13

63AA 760141

शपथ पत्र

मैं दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत आयु 24 वर्ष निवासी गोयन्दा जिला कोटा ईश्वर को साक्षी मानकर निम्न शपथ पत्र आलेखित करता हूं:-

कि मेरे पिता स्व0 श्री मांगीलाल प्रजापत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदस्थापन स्थान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद जिला कोटा में राजकीय सेवा में कार्यरत रहते हुए दिनांक 19.04.2013 को मृत्यु हो गई है।

हस्ताक्षर- दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे मृतक पिता के परिवार के समस्त सदस्यों की जिनमें मैं स्वयं भी शामिल हूं, मासिक आय देय पेंशन के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्रोत से आय प्राप्त नहीं होती है।

हस्ताक्षर- दिनेश कुमार

मृतक के परिवार के समस्त सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	नाम	उम्र	आवेदक से संबंध	विवाहित / अविवाहित
01	श्रीमती चन्द्रकला बाई	49 वर्ष	माता	विवाहित

दिनेश कुमार

ATTESTED

1-6-13

GOVERDHAN LAL SONI

NOTARY ... KTOA

पुत्र अविवाहित

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राजकीय सेवा नियुक्ति दिये जाने के प्रावधानों के अन्तर्गत मेरी नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर होने पर मृतक के परिवार के उपरोक्त किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है न ही भविष्य में होगी। यदि कोई आपत्ति करता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

हस्ताक्षर– दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राजकीय सेवा नियुक्ति दिये जाने के प्रावधानों के अन्तर्गत मेरी नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर होने जाने पर मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य इन प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय सेंवा में नियुक्ति पाने का हकदार नहीं रहेगा। इस संबंध में कोई आपत्ति करता है तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा।

हस्ताक्षर– दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 19.04.2013 को हो चुकी है।

हस्ताक्षर– दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं विवाहित हूं।

हस्ताक्षर– दिनेश कुमार

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरे स्वज्ञान में सही है। ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

दिनांक-01-6-13

दिनेश कुमार

1-6-13